# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :–** 3783/2025

अशोक कुमार गुप्ता

–अपीलार्थी

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 12.08.2025

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता
**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :–चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

**आदेश**

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 11.07.1978 को उप अभियंता के पद पर हुई। इसके पश्चात वर्ष 2003 में सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया, वर्ष 2014 में उन्हें कार्यपालन अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया तथा अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के पश्चात् अपीलार्थी आदेश दिनांक 29.12.2017 (अनुलग्नक–1) के द्वारा दिनांक 31.12.2017 को सेवानिवृत्त हो गए। अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ और सेवा लाभ नहीं दिए गए हैं एवं अपीलार्थी को ग्रेच्युटी की राशि और 10 माह के अवकाश नकदीकरण का भुगतान नहीं किया गया है। आदेश दिनांक 29.08.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को जारी की गई ग्रेच्युटी राशि का 50 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है और स्वीकार किया गया है कि उसका भुगतान कर दिया गया है, परन्तु अपीलार्थी को ग्रेच्युटी राशि का 50 प्रतिशत भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी के खिलाफ विभाग की जांच लंबित है इसलिए स्वीकृत ग्रेच्युटी राशि का केवल 50 प्रतिशत जारी किया गया है, इस संबंध में अपीलार्थी का कथन है कि विभाग की

अपीलार्थी के खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत पंजीकृत एफआईआर संख्या 476/2011 से उत्पन्न एक मामले में अभियोजन की मंजूरी दी गई थी, जिसे एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7062/2023 में चुनौती दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी एक अंतरिम आदेश दिनांक 17.05.2023 पारित किया, जिसके द्वारा अभियोजन स्वीकृति आदेश दिनांक 24.01.2023 को स्थगित किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 12.02.2024 (अनुलग्नक–3) को प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिया और अनुरोध किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच विचाराधीन/शिकायत लम्बित नहीं का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने संयुक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिनांक 02.05.2024 (अनुलग्नक–4) को एक पत्र लिखा था, जिसमें विभागीय जाँच लंबित होने का प्रमाण पत्र जारी करने या न करने के संबंध में जानकारी दी गई थी, लेकिन दिनांक 02.05.2024 के पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 29.05.2024 (अनुलग्नक–5) को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलार्थी ने उल्लेख किया कि वह दिनांक 31.12.2017 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है और प्रोविजनल पेंशन प्राप्त कर रहा है और अनुपस्थिति अवधि यानी 14.07.2015 से 21.09.2016 के संबंध में निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। ऐसी परिस्थितियों में दिनांक 01.07.2017 तक वेतन में की गई वृद्धि और वित्त विभाग के आदेश के अनुसार और संशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी और राशि अपीलार्थी को अवकाश नकदीकरण जारी किया जाए। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को बकाया वेतन, ग्रेच्यूटी, अवकाश नगदीकरण का भुगतान करे एवं अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ का भुगतान किया जावे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग

के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**